

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 65/2021

बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा निवासी भटेडिया तहसील मांगरोल
हाल निवासी प्रेमनगर 3, कोटा

.....वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज०)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट०

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री सुनील कुमार गौड़

दायरा दिनांक: 05.07.2021

निर्णय दिनांक : 28.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 41 खसरा नं० 174 रकबा 0.65 है०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.65 है० वाके ग्राम चकभटेडिया तहसील मांगरोल, खाता संख्या 25 खसरा नं० 65 रकबा 0.70 कुल किता 1 कुल रकबा 0.70 वाके ग्राम चकभटेडिया तहसील मांगरोल, खाता संख्या 49 खसरा नं० 304/472 रकबा 0.22 है०, खसरा नं० 305/471 रकबा 0.30 है०, खसरा नं० 306/463 रकबा 0.33 है०, खसरा नं० 360 रकबा 0.11 है०, कुल किता 4 कुल रकबा 0.96 है० वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल, खाता संख्या 125 खसरा नं० 111 रकबा 0.05 है०, खसरा नं० 341 रकबा 2.94 है०, खसरा नं० 359 रकबा 0.31 है० खसरा नं० 87 रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 97 रकबा 0.05 है० कुल किता 5 कुल रकबा 3.38 है० वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल व खाता संख्या 319 खसरानं० 2256 रकबा 2.56 है०, खसरा नं० 260 रकबा 2.66 है०, खसरा नं० 261 रकबा 0.94 है० कुल किता 3 कुल रकबा 6.16 है० वाके ग्राम बमोरीकलौ तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज के स्थान पर जगमोहन पुत्र चतरा दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज है। जिसको वादी जगमोहन पुत्र चतरा के स्थान पर बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज दुरुस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में जगमोहन पुत्र चतरा के स्थान पर बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम जगमोहन पुत्र चतरा के स्थान बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 05.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक:-राजस्व/2021/701 दिनांक 24.08.2021 के जिसके अनुसार जगमोहन पुत्र चतरा जाति बैरवा को बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग-अलग नहीं है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति जगमोहन पुत्र चतरा जाति बैरवा व बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम जगमोहन पुत्र चतरा के स्थान पर बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज सा 0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं सल्लग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं, रामप्रसाद पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी भटेडियो एवं हीरालाल पुत्र मथरा जाति बैरवा निवासी भटेडियो के आधार पर शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 41 खसरा नं 174 रकबा 0.65 है 0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.65 है 0 वाके ग्राम चकभटेडिया तहसील मांगरोल, खाता संख्या 25 खसरा नं 65 रकबा 0.70 कुल किता 1 कुल रकबा 0.70 वाके ग्राम चकभटेडिया तहसील मांगरोल, खाता संख्या 49 खसरा नं 304/472 रकबा 0.22 है 0, खसरा नं 305/471 रकबा 0.30 है 0, खसरा नं 306/463 रकबा 0.33 है 0, खसरा नं 360 रकबा 0.11 है 0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.96 है 0 वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल, खाता संख्या 125 खसरा नं 111 रकबा 0.05 है 0, खसरा नं 341 रकबा 2.94 है 0, खसरा नं 359 रकबा 0.31 है 0 खसरा नं 87 रकबा 0.03 है 0, खसरा नं 97 रकबा 0.05 है 0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.38 है 0 वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल व खाता संख्या 319 खसरानं 2256 रकबा 2.56 है 0, खसरा नं 260 रकबा 2.66 है 0, खसरा नं 261 रकबा 0.94 है 0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.16 है 0 वाके ग्राम बमोरीकलौ तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम जगमोहन पुत्र चतरा के स्थान पर बृजमोहन पुत्र चतुर्भुज दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ-साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। पत्रावली फेशल शुमार होकर बाह तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 कोर्ट केम्प मऊ मजमेंआम में सुनाया गया।

अशोक सिंह (मजूर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल